

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

अनुवान

इस


बनाम अब्दुल हमीद

बाद-

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
	<p>20/3/17 को जज / वरिष्ठ न्यायाधीश / कोर्ट ऑफ अपील अहम अहमद (न्यायाधीश) कोर्ट में आदेश दिया कि अहम अहमद को जमाना दे दिया गया है। जमाना दे दिया है / फांसी 20/3/17 को दे दिया है।</p> <p style="text-align: right;">↓</p> <p style="text-align: center;">इसबाद फांसी 9/9/17 को</p>	
<p>4/9/17</p>	<p>फांसी / फांसी / न्यायाधीश / अहम अहमद को उत्तरी कोर्ट में आदेश दिया कि जमाना दे दिया है। अहम अहमद को जमाना दे दिया है / फांसी 4/9/17 को दे दिया है।</p> <p style="text-align: right;">↓</p> <p style="text-align: center;">फांसी 18-5-18 को दे दिया है।</p> <p>राजस्थान लोक अदालत कोर्ट कैम्प नाम आदेश क्र, 2018 क्रम क्रम संख्या... 18-5-18 तारीख क्रमांक... दिनांक 18-5-18</p> <p>मिलियन का अनुमान किमा, न्यायाधीश द्वारा प्रतिपत्ती की तलबी नहीं कर पूर्व आदेशानुसार की उत्तरी कोर्ट में भी है। कोर्ट पूर्व में अनुमान भी है। कोर्ट की कोर्ट में अनुमान तलबी में मर न्यायाधीश की तलबी किमा जाता है। मिलियन तलबी होकर (कोर्ट नाम न्यायाधीश कोर्ट)</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण
दिनांक 11/5/2018 को किया जा चुका है।


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल-तिजारा)